

हृदि दविस 2024

स्रोत: पी.आई.बी.

भारत ने 14 सतिंबर, 2024 को हृदि दविस मनाया, जो हृदि भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाए जाने की 75वीं वर्षगाँठ का प्रतीक है।

- केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने हृदि के आधिकारिक भाषा के रूप में 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।
- 14 सतिंबर 1949 को संवधान सभा ने देवनागरी लिपि में हृदि को भारत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी।
- मुंशी -अयंगर फारमूले, के.एम. मुंशी और एन. गोपालसवामी अयंगर के बीच एक समझौता, के परणामस्वरूप **संवधान के अनुच्छेद 343** के तहत हृदि को देवनागरी लिपि में संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया, जबकि अंगरेज़ी को पंद्रह वर्षों तक आधिकारिक उद्देश्यों के लिये जारी रखने की अनुमति दी गई।
 - जैसे ही 15 वर्ष की अवधि समाप्त हुई, हृदि भाषा अपनाए जाने के भय से वरिध प्रदर्शन के परणामस्वरूप राजभाषा अधिनियम, 1963 पारित हुआ, जिसके तहत हृदि के साथ-साथ अंगरेज़ी को भी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई।
- हृदि से संबंधित अनुच्छेद: अनुच्छेद 210 के तहत वधायिका में प्रयोग की जाने वाली भाषा राज्य की राजभाषा, हृदि या अंगरेज़ी हो सकती है।
 - अनुच्छेद 351: यह हृदि भाषा को विकसित करने के लिये इसके प्रसार का प्रावधान करता है ताकि यह भारत की मशिरति संस्कृति के सभी तत्त्वों के लिये अभवियक्त के माध्यम के रूप में कार्य कर सके।
- हृदि भारत के संवधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से एक है और यह शास्त्रीय भाषा नहीं है।
 - इस भाषा का नाम फारसी शब्द 'हृदि' से लिया गया है जिसका अर्थ है 'सधु नदी की भूमि' और यह संस्कृत की वंशज है।

और पढ़ें.... [वशिव हृदि दविस](#)